न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/3/2024

अपीलांट सज्जनसिंह पुत्र हुकमसिंह
निवासी मकान संख्या एन 23 आशियाना अमरबाग, पाली रोड़ कुड़ी जोधपुर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

आदेश

दिनांक : 22.01.2024

अपीलार्थी सज्जनसिंह पुत्र हुकमसिंह निवासी मकान संख्या एन 23 आशियाना अमरबाग, पाली रोड़ कुड़ी जोधपुर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 02.01.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय पोस्टल ऑर्डरं 990897 की प्रति दिनांक 22.11.2023 संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सेड़वा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथी को न तो उपस्थित हुए और न ही जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत की गई।

हमने प्रस्तुत अपील, राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना में संदर्भित पत्रों का पूर्ण विवरण दिया गया हैं, इसके बावजूद अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना यथासमय उपलब्ध नहीं करवाई हैं जो उचित नहीं हैं। इस प्रकार अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जो दस्तावेज उपलब्ध है, वह देय हो इसे नियमानुसार वांछित सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करवाई जावे अन्यथा उसे इस संबंध में सूचित किया जाकर प्रार्थना–पत्र का निस्तारण शीघ्र किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हों।

आदेश आज दिनांक 22.01.2024 को न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(अरूण कुमार पुरोहित)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर